संख्या-233/2016/822/22-2-2016-17(196)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 23 नवम्बर, 2016***

विषय:- जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रेम नारायन पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा, निवासी जनपद-आगरा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3284/पर-3/(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रेम नारायन पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा, निवासी ग्राम-लखनपुर खालसा, थाना-वासौनी जनपद-आगरा का रहने वाला है। दहेज में 50 हजार रूपये व मोटर साईकिल की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 27.05.2009 को सायं 06:00 बजे अपनी पत्नी पुष्पा पर मिट्टी के तेल से जलाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 721/2009 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-498 ए 304बी व 3/4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश-6 मथुरा दिनांक 24-07-2013 को 10 के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.06.2015 तक 06 वर्ष 00 माह 07 दिन की अपरिहार तथा 06 वर्ष 05 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त को मा० अपर सत्र न्यायाधीश-06 द्वारा अपराध से दोषमुक्त किया जा चुका है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, आगरा द्वारा बन्दी के युवा होने व आयु कम होने के कारण उसके पुन: अपराध की आशंका होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने एवं सजा पूर्ण होने तक कारागार में निरूद्ध रखा जाये की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व की संस्तुति नही की है। जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन में हां की आख्या अंकित करते हुए एवं परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति बन्दी के जेल से रिहाई हेतु उपयुक्त प्रतीत नहीं होने की आख्या अंकित की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्रेम नारायन पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा, निवासी जनपद-आगरा को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी प्रेम नारायन (बन्दी संख्या-264/13) पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा निवासी जनपद-आगरा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-233/2016/822(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा।
2- अधीक्षक, जिला कारागार मथुरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश सख्या-233/2016/822/22-2-2016-17(280)/2016**

**दिनांक 23 नवम्बर, 2016 का संलग्नक**

**<u>सरकार के आदेश</u>**

जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रेम नारायन पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा, निवासी ग्राम-लखनपुर खालसा, थाना-वासौनी जनपद-आगरा का रहने वाला है। दहेज में 50 हजार रूपये व मोटर साईकिल की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 27.05.2009 को सायं 06:00 बजे अपनी पत्नी पुष्पा पर मिट्टी के तेल से जलाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 721/2009 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-498 ए 304बी व 3/4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश-6 मथुरा दिनांक 24-07-2013 को 10 के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.06.2015 तक 06 वर्ष 00 माह 07 दिन की अपरिहार तथा 06 वर्ष 05 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त को मा० अपर सत्र न्यायाधीश-06 द्वारा अपराध से दोषमुक्त किया जा चुका है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, आगरा द्वारा बन्दी के युवा होने व आयु कम होने के कारण उसके पुन: अपराध की आशंका होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने एवं सजा पूर्ण होने तक कारागार में निरूद्ध रखा जाये की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व की संस्तुति नही की है। जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन में हां की आख्या अंकित करते हुए एवं परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति बन्दी के जेल से रिहाई हेतु उपयुक्त प्रतीत नहीं होने की आख्या अंकित की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्रेम नारायन पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा, निवासी जनपद-आगरा को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।